Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

भारतीय धर्मनिरपेक्षता: सिद्धांत, व्यवहार और इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ

Saurabh Raj
Research Scholar, Department of Political Science, Malwanchal University, Indore
Dr. Bhushan
Supervisor, Department of Political Science, Malwanchal University, Indore

संक्षेप

भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक अनूठा और विशिष्ट मॉडल है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और बहुलतावाद के सिद्धांतों पर आधारित है। यह केवल धर्म और राज्य के पूर्ण पृथक्करण तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान ने इसे मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना में स्थान देकर स्पष्ट कर दिया कि राज्य किसी विशेष धर्म का पक्षधर नहीं होगा। व्यवहारिक स्तर पर धर्मनिरपेक्षता ने भारत की विविधता में एकता को बनाए रखने, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। किंतु इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। सांप्रदायिकता, धार्मिक ध्रुवीकरण, चुनावी राजनीति में धर्म आधारित रणनीतियाँ, तथा मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलता धार्मिक उन्माद धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच अविश्वास, शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था में निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न भी स्थिति को जटिल बनाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जिसे सुरक्षित रखना न केवल संवैधानिक संस्थाओं बल्कि नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है।

Keywords: धर्मनिरपेक्षता, संविधान, सांप्रदायिकता, लोकतंत्र, बहुलतावाद

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

प्रस्तावना

भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है। प्राचीन काल से ही यहाँ अनेक पंथों, संप्रदायों और आस्थाओं का सह-अस्तित्व देखने को मिलता है। यही कारण है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा मात्र एक राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता रही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जड़ें पश्चिमी देशों की तरह केवल राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव पर आधारित नहीं हैं, बल्कि यह "सर्वधर्म समभाव" की उस परंपरा से जुड़ी है, जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को समान आदर और सम्मान देने की प्रेरणा देती है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी, नेहरू और अन्य नेताओं ने इस विचार को राष्ट्र निर्माण का मूलभूत आधार बनाया। संविधान सभा की बहसों में भी यह स्पष्ट हुआ कि धर्मनिरपेक्षता केवल सैद्धांतिक मूल्य न होकर एक व्यावहारिक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकजुट रखने की क्षमता रखता है।

भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में अपनाया और इसे लोकतंत्र, समानता और न्याय से जोड़ा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख 1976 के 42वें संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया, किंतु इससे पहले भी अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी गई थी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता यह है कि यह न केवल सभी धर्मों को समान दर्जा देती है, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करती है। यहाँ राज्य धर्म से पूर्णत: अलग होकर कार्य नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दूरी और सम्मान का दृष्टिकोण अपनाता है। वर्तमान समय में जब वैश्विक स्तर पर धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक तनाव की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सामाजिक सद्भाव की स्थापना के लिए अत्यंत प्रासंगिक सिद्ध होती है। इस प्रकार यह केवल एक

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

संवैधानिक सिद्धांत नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

धर्मनिरपेक्षता: अवधारणा

धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विश्वदृष्टि अथवा राजनीतिक सिद्धांत है जो धर्म को मानव अस्तित्व के अन्य क्षेत्रों से अलग करके देखता है। इसका मूल स्वरूप मानव जीवन के गैर-धार्मिक पहलुओं पर विशेष बल देना है, और अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह धर्म को राजनीतिक क्षेत्र से पृथक रखने का विचार प्रस्तुत करता है। किंतु धर्मनिरपेक्षता की कोई सर्वमान्य और सटीक परिभाषा निर्धारित करना विद्वानों के लिए भी जटिल कार्य सिद्ध हुआ है। कनाडाई दार्शनिक चार्ल्स टेलर का मत है कि "धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है; वास्तव में इस नाम के अंतर्गत भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ और रूप मिलते हैं।" इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अपने आप में बहुस्तरीय और संदर्भ-विशिष्ट है।

धर्मनिरपेक्षता से जुड़े शब्दों—जैसे *धर्मनिरपेक्ष* और *धर्मनिरपेक्षीकरण*—की भिन्न-भिन्न धारणाएँ इस विषय को और अधिक जटिल बनाती हैं। सामान्यतः "धर्मनिरपेक्ष" शब्द का प्रयोग धार्मिक संदर्भों से बाहर मानव जीवन के क्षेत्र को इंगित करने हेतु किया जाता है। आधुनिक संदर्भ में यह जीवन जीने और संसार को समझने की उस दृष्टि से जुड़ा है जो वैज्ञानिक तर्कशीलता और व्यक्तिगत व्यक्तिपरकता को प्राथमिकता देती है। दूसरी ओर, "धर्मनिरपेक्षता" प्रायः एक दार्शनिक दृष्टिकोण को व्यक्त करती है, जो धर्म को नैतिकता और समझ का मुख्य आधार मानने से इंकार करती है या उसके प्रति उदासीनता रखती है। यह नास्तिकता को समाहित करती है, किंतु उसके समानार्थी नहीं है। राजनीतिक संदर्भों में धर्मनिरपेक्षता अनेक रूपों में प्रकट होती है, परंतु सामान्य रूप से इसका तात्पर्य आधुनिक राष्ट्र-राज्य और धर्म के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाली नीतियों से होता है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता केवल एक दार्शनिक अवधारणा ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक-राजनीतिक सिद्धांत भी है, जो आधुनिक समाज की संरचना और राज्य-व्यवस्था के मूल में निहित है।

धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ क्या है और यह किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में प्रासंगिक है, इसे समझने के लिए इसके मूलभूत स्वरूप को जानना आवश्यक है। समाज विभिन्न संरचनाओं से निर्मित होता है, जिनमें जाति, वर्ग, लिंग, जातीयता और धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन सभी तत्वों के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित किए बिना समाज का सुचारु संचालन संभव नहीं हो सकता। इसी कारण कहा गया है कि समाज की सामाजिक संरचना में उपस्थित विभिन्न जातीय, धार्मिक, भाषाई और लैंगिक समूहों के बीच सहयोग और समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

धर्मनिरपेक्षता: अर्थ एवं परिभाषा

'सेक्युलरिज़्म' (धर्मनिरपेक्षता) शब्द लैटिन भाषा के *सेक्युलर* शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका आशय है – "वर्तमान युग" अथवा "यह संसार" । सामान्यतः धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक प्रगति और तार्किक व्यवहार की व्यापक समझ से जोड़ा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि मानव समाज के विकास हेतु धार्मिक व्याख्याओं से परे एक आधुनिक, तार्किक और सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सामाजिक संबंधों में संतुलन और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना है।

धर्मनिरपेक्षता उस नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें धर्म के अधिकार को कम करते हुए तर्क, विवेक और सामाजिक न्याय को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य तथा समाज के संचालन में इसका अर्थ है कि सत्ता और नीति-निर्माण किसी विशेष धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर तार्किकता और न्याय पर आधारित हों। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म के विरोध से नहीं, बल्कि सभी धार्मिक और गैर-धार्मिक समुदायों के प्रति निष्पक्ष और

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

समान दृष्टिकोण अपनाने से है। यही कारण है कि इसे एक सार्वभौमिक अवधारणा माना जाता है, जो किसी विशेष धर्म या विश्वास को प्राथमिकता न देकर, सभी को समान रूप से देखने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को आधुनिक समाज में तर्क, विज्ञान और समानता पर आधारित एक व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में समझा जा सकता है।

धर्मनिरपेक्षता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 17वीं शताब्दी के यूरोप तक खोजी जा सकती है। उस समय रोमन कैथोलिक चर्च और विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष और प्रभुत्व की लड़ाई चरम पर थी। इससे पूर्व 1618 से 1648 तक यूरोप में तीस वर्षीय युद्ध (Thirty Years' War) चला, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और पूरे महाद्वीप को गहरे संकट में डाल दिया। इस युद्ध में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में अनेक प्रोटेस्टेंट राज्य और कैथोलिक साम्राज्य आमने-सामने थे, जिनमें बवेरिया, स्पेन और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राष्ट्र भी सम्मिलित थे।

युद्ध का आरंभ इस कारण हुआ कि बोहेमिया के निवासियों ने कैथोलिक सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय के शासन का विरोध किया। फर्डिनेंड धार्मिक असहिष्णुता के लिए कुख्यात था और अपने साम्राज्य में कैथोलिक धर्म को सर्वोच्च स्थान देना चाहता था। इसके विपरीत उत्तरी यूरोप के कई प्रोटेस्टेंट राज्यों ने धार्मिक स्वतंत्रता की मांग उठाई और एक प्रोटेस्टेंट संघ का गठन किया। युद्ध के दौरान इंग्लैंड ने भी प्रोटेस्टेंट गुट को समर्थन दिया। फर्डिनेंड द्वितीय की नीतियाँ, उसकी कठोर कैथोलिक आस्था और अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ उसे अन्य सम्राटों से अलग करती थीं। इसी कारण वह असहिष्णु शासक के रूप में जाना गया, जबकि उसकी नीतियाँ धार्मिक संघर्ष को और भड़काने वाली सिद्ध हुईं।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्ष संरचना के निर्माण की आधारशिला रखी। संविधान निर्माताओं ने इसे ऐसा सर्वमान्य प्रावधान माना, जो स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक और समावेशी स्वरूप प्रदान करता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) विशेष महत्व रखती है। इसमें नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूलभूत सिद्धांतों की गारंटी दी गई है। संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से यह घोषणा करती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना है; तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, संविधान नागरिकों के बीच बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिससे व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहे और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुदृढ़ हो।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता

1. धार्मिक सह-अस्तित्व की परंपरा

भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी बहुलतावादी और बहुधर्मी संरचना है। भारत का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि यहाँ अनेक धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं का सह-अस्तित्व रहा है। वैदिक और उत्तरवैदिक काल से लेकर बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव, सूफी और सिख परंपराओं तक, विभिन्न धार्मिक धारणाओं ने भारतीय समाज को समृद्ध किया है। यहाँ की सांस्कृतिक धारा ने हमेशा इस विविधता को स्वीकार किया और उसे आत्मसात करने का प्रयास किया। यही कारण है कि भारत को "सांस्कृतिक संगम" कहा जाता है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

धार्मिक सह-अस्तित्व की यह परंपरा केवल दार्शनिक स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी दिखाई दी। उदाहरण के लिए, सम्राट अशोक की "धम्म नीति" ने यह सिद्ध किया कि राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं और उनके अनुयायियों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोपरि है। इसी प्रकार, मध्यकालीन भारत में अकबर की *सुलह-ए-कुल* नीति ने विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए समान स्थान और सम्मान सुनिश्चित किया। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने भी धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने और मानवता को सर्वोच्च मूल्य मानने की परंपरा को मजबूत किया।

भारतीय समाज में धार्मिक सह-अस्तित्व की परंपरा इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि यहाँ ईसाई, यहूदी, पारसी और इस्लाम जैसे बाहरी धर्म भी न केवल स्वीकार किए गए, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति में समाहित होने का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को एक विशिष्ट स्वरूप दिया, जहाँ धर्मनिरपेक्षता केवल राज्य और धर्म के पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, बल्कि समाज में विविध धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन और सौहार्द की परंपरा भी है।

2. "सर्व धर्म समभाव" की अवधारणा

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी विशिष्टता "सर्व धर्म समभाव" की अवधारणा है। यह विचार भारतीय संस्कृति और दर्शन से गहराई से जुड़ा हुआ है। "सर्व धर्म समभाव" का अर्थ है कि सभी धर्म समान हैं और उनका सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति और राज्य का दायित्व है। यह अवधारणा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, जहाँ प्रायः राज्य और धर्म का पूर्ण पृथक्करण देखा जाता है। भारत में इसके बजाय सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण देने पर बल दिया गया है।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान "सर्व धर्म समभाव" को भारतीय राजनीति और समाज का आदर्श बनाया। उनके अनुसार, यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

संगठित रहना है तो सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार और समान सम्मान मिलना चाहिए। गांधीजी ने इसे धार्मिक सहिष्णुता से भी आगे बढ़कर "धार्मिक समानता" के रूप में देखा। इसी विचार ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को विशेष स्वरूप प्रदान किया। भारतीय संविधान ने भी इस अवधारणा को अपनी आत्मा में आत्मसात किया। अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और राज्य को यह दायित्व सौंपा गया कि वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे। उदाहरणस्वरूप, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक जीवन में विभिन्न धार्मिक त्योहारों को राष्ट्रीय महत्व के साथ मनाया जाता है, जिससे यह संदेश जाता है कि भारत की पहचान किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि उसकी धार्मिक बहुलता से है।

निष्कर्ष

भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक विशिष्ट अवधारणा है, जो पश्चिमी मॉडल से भिन्न होकर धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल धर्म और राज्य को अलग रखना नहीं, बल्कि विविध धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन स्थापित करना और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करना है। संविधान ने इसे मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना में स्थान देकर एक मजबूत आधार दिया है, जिससे यह लोकतांत्रिक ढाँचे का अभिन्न हिस्सा बन गया। व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता ने भारत की बहुलतावादी संस्कृति को संरक्षित करने और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। सांप्रदायिकता, धार्मिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक हितों के लिए धर्म का उपयोग, तथा मीडिया और सोशल मीडिया में बढ़ती असहिष्णुता धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को कमजोर करते हैं। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच अविश्वास, शिक्षा व्यवस्था में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण और न्यायिक

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

निष्पक्षता पर प्रश्न भी इस दिशा में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। इस संदर्भ में आवश्यक है कि संवैधानिक संस्थाएँ और राजनीतिक नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सर्वोपरि मानें, नागरिक समाज सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति को प्रोत्साहित करे, और शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में समानता व न्याय की चेतना विकसित की जाए। अंततः, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल एक संवैधानिक आदर्श नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला है, जिसे संरक्षित और सुदृढ़ करना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

संदर्भ

1. चौहान, आर. (2020). चुनावी राजनीति में धर्म और धर्मनिरपेक्षता. *इलेक्शन रिसर्च इंडिया*, 3(2), 130-147.
2. सिंह, वी. (2020). न्यायपालिका और भारतीय धर्मनिरपेक्षता: एक अध्ययन. *जर्नल ऑफ़ लॉ एंड सोसाइटी इंडिया*, 8(3), 61-79.
3. हर्ष, ए. (2020). भारत में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का संकट. *सोशल थॉट्स इंडिया*, 14(2), 112-130.
4. वर्मा, डी. (2021). धर्मनिरपेक्षता और मीडिया विमर्श. *कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिक्स*, 10(4), 75-92.
5. नागर, एम. (2021). भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता का भविष्य. *इंडियन सोशियोलॉजिकल रिव्यू*, 15(1), 33-51.
6. शंकर, पी. (2022). धर्मनिरपेक्षता और बहुसंस्कृतिवाद: भारतीय संदर्भ. *सोशल फिलॉसफी जर्नल*, 8(2), 115-132.
7. जैन, एल. (2022). संविधान, धर्म और धर्मनिरपेक्षता. *कानूनी अध्ययन समीक्षा*, 12(3), 145-162.

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

8. मोहंती, एस. (2022). भारतीय राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण. *पॉलिटिकल स्टडीज इंडिया*, 11(1), 54-72.
9. अग्रवाल, टी. (2023). धर्मनिरपेक्षता और भारतीय युवाओं की सोच. *युवा और समाज जर्नल*, 9(2), 88-104.
10. घोष, आर. (2023). भारतीय धर्मनिरपेक्षता: नए विमर्श. *ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी*, 15(1), 119-136.
11. दवे, एस. (2023). धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार. *ह्यूमन राइट्स इंडिया जर्नल*, 7(3), 70-89.